रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 1982/आषाढ 3, 1904
No. 191] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 1982/ASADHA 3, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 1982

सा० का० नि० 469 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15वां) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, पासपोर्ट नियमावली, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

(1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1982 कहलाएंगे।

(2) ये 1 जून, 1982 से लागू होंगे।

(3) पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची III—भाग III (देखें नियम 11) में की गई प्रविष्टियां हटाई जाएंगी और उनके स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 1982

G.S.R. 469 (E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely :—

(1) These rules may be called the Passports (amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force from First June, 1982.

(3) The entries made in Schedule III - Part III (See rule 11) of Passports Rules, 1980 shall be deleted and the following entries shall be substituted in lieu thereof.

फार्म पी-1
FORM P-I

राजनयिक पासपोर्ट का प्ररूप
Form of Diplomatic Passport

(मुख आवरण)
(Front Cover)

राजनयिक पासपोर्ट
DIPLOMATIC PASSPORT

सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

(आंतरिक मुख आवरण)
(Inside Front Cover)

सत्यमेव जयते

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो ।

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at में

On.....19को दिया गया

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया ।

By Order of the President of the Republic of India.

.....

.....

.....

(पृष्ठ—1)
(Page No. One)

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं ।
This pass portcontains 36 pages.

राजनयिक पासपोर्ट
DIPLOMATIC PASSPORT

भारत
INDIA

पासपोर्ट संख्या
.....
PASSPORT NUMBER

नाम
.....
NAME

.....बच्चे साथ हैं जिनके विवरण नीचे दिये गए है।

Accompanied byChildren Whose particulars are mentioned below.

नाम Name	जन्म की तारीख Date of Birth	लड़का/लड़की Male/Female

राष्ट्रिकता
.....
National Status

1

(पृष्ठ-2)
(Page No. Two)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विवरण/Description

लिंग Sex	व्यवसाय Profession	
अधिवास Domicle	कद Height	सें मी० Cms.
रंग Colour	आंखों का of eyes	बालों का of hair

पिता/पति का नाम
.....
Name of father/husband

.....

स्थायी पता
.....
Permanent Address

.....

मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में जिस सम्बन्धी अथवा मित्र को सूचना देनी हो उसका विवरण ।

Particulars of relative/friend to be intimated in event of death or accident.

नाम
.....
Name

.....

पता
.....
Address

.....

सम्बन्ध Relationship	टेलीफोन नम्बर Tele. No.

2

IndiaCode

(पृष्ठ—3)
(Page No. Three)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

धारक का फोटो
PHOTOGRAPH OF THE BEARER

जन्म स्थान Place of birth

जन्म की तारीख Date of birth

पहचान के प्रकट चिन्ह Visible Distinguishing Marks

धारक के हस्ताक्षर /SIGNATURE OF BEARER

3

(पृष्ठ—4)
(Page No. Four)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

यह पासपोर्ट निम्नलिखित देशों की यात्रा के लिए वैध है।
This passport is valid for travel to countries mentioned below.

.....

.....

.....

.....

यदि अवधि न बढ़ाई जाए तो
इस पासपोर्ट की वैधता
.....को समाप्त हो जाएगी।
Unless renewed validity
of this passport expires on

4

(पृष्ठ—5)
(Page No. Five)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

(1) संख्या तारीख
No. Date

इस पासपोर्ट की वैधता
..... तक बढ़ाई गई है।
Validity of this passport
is extended up to

.....

.....

.....

(2) संख्या तारीख
No. Date

इस पासपोर्ट की वैधता
..... तक बढ़ाई गई है।
Validity of this passport
is extended up to

.....

.....

.....

(3) संख्या तारीख
No. Date

इस पासपोर्ट की वैधता
..... तक बढ़ाई गई है।
Validity of this passport is
extended up to.

.....

.....

.....

5

(पृष्ठ—6)
(Page No. Six)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विविध सेवा
Miscellaneous Service

.....

.....

.....

.....

टिप्पणी
Observation

.....

.....

.....

.....

6

IndiaCode

(पृष्ठ 7 से 34)
(Pages Nos. Seven to Thirty Four)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वीजा
VISAS

7 to 34

(पृष्ठ 35)
(Page No. Thirty five)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

सफर खर्च के लिए विदेशी मुद्रा
FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के प्राधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख Date	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई। Country of travel for which exchange has been sold	दी गई अथवा लौटाई गई रकम निकटतम पौंड या रुपये के बराबर (पौंड या रुपयों में) Amount issued or refunded (Sterling or Rupee equivalent to nearest or Re.)	मुद्रा के प्राधिकार प्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर Stamp and Signature of Authorised Dealer selling exchange.

35

(पृष्ठ 36)
(Page No. Thirty Six)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विनियम

राजनयिक पासपोर्ट की वैधता

1. राजनयिक पासपोर्ट की वैधता उस समय स्वतः समाप्त हो जाएगी जब सम्बन्धित व्यक्ति जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाए, जिसके कारण यह राजनयिक पासपोर्ट पाने का अधिकारी हुआ था। ऐसी सूरत में, राजनयिक पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय नई दिल्ली में अथवा विदेश में भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा।

2. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए दिया गया है जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर उनके अतिरिक्त और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट उपलब्ध होने से पासपोर्ट धारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवासन कानूनों का पालन न करे, अथवा जहां वीजा हासिल करना आवश्यक हो, जहां उसे हासिल न करे।

3. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता समाप्त होने के बाद उसकी पूरी मियाद में किसी भी समय उसका पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है लेकिन इसकी मियाद समाप्त होने के बाद नया पासपोर्ट लेना होगा।

4. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह भारत सरकार की सम्पत्ति है। यह धारक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास ही सुरक्षित रहना चाहिए। इसे किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथों में नहीं पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाय या नष्ट हो जाय तो इसके खोने या नष्ट होने की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के पासपोर्ट प्राधिकारी को या (यदि पासपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन की तथा स्थानीय पुलिस को भी जानी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार का फेर-बदल करना चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न यथोचित रूप से प्राधिकार प्राप्त अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार अगर चाहे तो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अधीन इस पासपोर्ट को जब्त अथवा रद्द कर सकती है। ऐसी सूरत में पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह पासपोर्ट जारी करने वाले निकटतम प्राधिकारी को यह पासपोर्ट सौंप दे।

4. यह पासपोर्ट पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण-पत्र होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने ही साथ रखे।

5. पासपोर्ट धारी को पासपोर्ट के सम्बन्ध में पासपोर्ट प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी सूचना का तत्काल पालन करना चाहिए।

36

India Code

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)

(Inside back cover)

REGULATIONS

VALIDITY OF DIPLOMATIC PASSPORTS

1. A Diplomatic Passoport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive a Diplomatic Passport. In such an event, a Diplomatic Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indians abroad.

2. This passport is avilable for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

3. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within it total life after which a fresh passport must be obtained.

4. Passport should not be sent out of any country by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE IMPOUNDED OR REVOKED AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA UNDER THE PROVISIONS OF THE PASSPORTS ACT, 1967, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

5. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGRDING THIS PASS PORT SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

Indiacode

फार्म पी-1 (क)
FORM P-1(A)
राजनयिक पासपोर्ट का प्ररूप
FORM OF DIPLOMATIC PASSPORT
(मुख्य आवरण)
(Front Cover)
राजनयिक पासपोर्ट
DIPLOMATIC PASSPORT



भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

(आंतरिक मुख्य आवरण)
(Inside Front Cover)



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो ।

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at..... में
the.....day
of.....,19..... को

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया ।
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

.....
.....
.....

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं ।
This passport contains 32 pages.

राजनयिक पासपोर्ट
DIPLOMATIC PASSPORT
भारत
INDIA

पासपोर्ट का नम्बर
No. of Passport
वाहक का नाम
Name of Bearer
साथ है उसकी पत्नी (जन्म नाम)
Accompanied by his wife (Maiden Name)
और बच्चे ।
.....
And Children

राष्ट्रिकता
National Status

.....
.....

1

(पृष्ठ–2)
(Page No. Two)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)
विवरण
Description

		पत्नी/Wife
व्यवसाय Profession		
जन्म-स्थान और जन्म की तारीख Place and date of birth		
अधिवास Domicile		
कद Height	मी० से० मी० M. C.m.	मी० से० मी० M. C.m.
आंखों का रंग Colour of eyes		
बालों का रंग Colour of hair		
पहचान के प्रकट चिह्न Visible distinguishing marks		

बच्चे/Children

नाम Name	जन्म की तारीख Date of Birth	लड़का/लड़की Male/Female
.....		
.....		
.....		
.....		

2

(पृष्ठ–3)
(Page No. three)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)
वाहक का फोटो
Photograph of Bearer

फोटो
(PHOTO)

वाहक के हस्ताक्षर
Signature of Bearer

पत्नी
Wife

फोटो
(PHOTO)

पत्नी के हस्ताक्षर
Signature of Wife

3

IndiaCode

(पृष्ठ—4)
(Page No. Four)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

यह पासपोर्ट इन देशों के लिए वैध है
Countries for which this passport is valid

.....

.....

.....

.....

.....

अवधि बढ़ाई न जाए तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है
Unless renewed the validity of this Passport expires on

.....

जारी करने का स्थान
Issued at }

तारीख
Dated }

4

(पृष्ठ—5)
(Page No. Five)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

घर का पता
Home Address

भारत में स्थायी पता (अर्थात् गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) :—
Permanent address in India :
(Including Village or Town, District and State)

.....

.....

.....

पिता/पति का नाम और पता (अर्थात् गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) :—
Name of Father/Husband and his full address
(Including Village or Town, District and State)

.....

.....

.....

टिप्पणी
Observations

.....

.....

.....

.....

5

(पृष्ठ—6)
(Page No. Six)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

नवीकरण
Renewals

6

(पृष्ठ—7 से 29)
(Page Nos. Seven to Twenty-nine)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वीजा
VISAS

7

(पृष्ठ 30 और 31)
(Page Nos. Thirty & Thirty-one)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

सफर खर्च के लिए विदेशी मुद्रा
FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के प्राधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे ।
No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख Date	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई Country of travel for which exchange has been sold	दी गई या लौटाई गई रकम (निकटतम पौंड या रुपए के बराबर-पौंड या रुपयों में) Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर Stamp and Signature of Authorised Dealer selling exchange

30—31

IndiaCode

(पृष्ठ 32)
(Page 32)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विनियम

राजनयिक पासपोर्ट की वैधता

1 राजनयिक पासपोर्ट की वैधता उस समय स्वतः समाप्त हो जायगी, जब कोई व्यक्ति जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाए, जिसके कारण वह राजनायिक पासपोर्ट पाने का अधिकारी हुआ था । ऐसी सूरत में राजनयिक पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, में अथवा विदेश में भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा ।

2. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए है, जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है । इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्ट धारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवास कानूनों का पालन न करे अथवा जहां वीजा हासिल करना आवश्यक हो वहां उसे न ले ।

3. (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी वह उसके पासपोर्ट पर अकेली यात्रा नहीं कर सकेगी ।

(ख) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा ।

4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा ।

5. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए ।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान अभिलेख है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को या (यदि पासपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल-बदल करनी चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए ;

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने ही साथ रखें।

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)
(Inside back cover)

REGULATIONS

VALIDITY OF DIPLOMATIC PASSPORTS

1. A Diplomatic Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive a Diplomatic Passport. In such an event, a Diplomatic Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi,or to an Indian Mission empowered to issue passports to Indians abroad.

2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

3. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;

(b) Children who are above fteen years of age require separate Passports.

4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

5. Passport should not be sent out of any country by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, NEW DELHI, OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

IndiaCode

फार्म पी-2
FORM P-2

सरकारी पासपोर्ट का प्रकल्प
Form of Official Passport

(मुख्य आवरण)
(Front Cover)

सरकारी पासपोर्ट
OFFICIAL PASSPORT

सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

(आंतरिक मुख्य आवरण)
(Inside Front Cover)

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो ।

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of *which he or she may stand in need.*

Given at.....में

On.....19.....को दिया गया

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

.....

.....

.....

पृष्ठ-1
(Page No. One)

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं ।
This passport contains 36 pages.

सरकारी पासपोर्ट
OFFICIAL PASSPORT

भारत
INDIA

पासपोर्ट संख्या
.....
Passport Number

नाम
.....
Name
.....

बच्चे साथ हैं जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं ।
Accompanied by.....children whose particulars are mentioned below.

नाम Name	जन्म की तारीख Date of Birth	लड़का/लड़की Male/Female
.....		
.....		
.....		
.....		

राष्ट्रिकता
.....
National Status

1

(पृष्ठ-2)
(Page No. Two)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विवरण/Description

लिंग Sex		व्यवसाय Profession
अधिवास Domicile	कद Height	सें०मी० Cms.
रंग Colour	आंखों का Of eyes	बालों का Of hair

पिता/पति का नाम
.....
Name of father/husband
.....

स्थायी पता
.....
Permanent Address
.....
.....

मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में जिस सम्बन्धी अथवा मित्र को सूचना देनी हो उसका विवरण ।
Particulars of relative/friend to be intimated in event of death or accident.

नाम
.....
Name

पता
.....
Address

सम्बन्ध Relationship	टेलीफोन नम्बर Tele. No.

2

(पृष्ठ–3)
(Page No. Three)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

जन्म-स्थान Place of birth

जन्म की तारीख Date of birth

पहचान के प्रकट चिह्न Visible Distinguishing marks

धारक का फोटो
Photograph of the Bearer

धारक के हस्ताक्षर/Signature of Bearer

3

(पृष्ठ–4)
(Page No. Four)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

यह पासपोर्ट निम्नलिखित देशों की यात्रा के लिए वैध है ।
This passport is valid for travel to countries mentioned below:

..

.....

.....

.....

यदि अवधि न बढ़ाई जाए तो
इस पासपोर्ट की वैधता
.....को समाप्त हो जाएगी।
Unless renewed validity of this
passport expires on

4

(पृष्ठ–5)
(Page No. Five)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

संख्या तारीख
(1) No. Date

इस पासपोर्ट की वैधता
.....तक बढ़ाई गई है।
Validity of this passport
is extended up to

.....
.....
.....

संख्या तारीख
(2) No. Date

इस पासपोर्ट की वैधता
.....तक बढ़ाई गई है।
Validity of this passport is extended up to

.....
.....
.....

संख्या तारीख
(3) No. Date

इस पासपोर्ट की वैधता
.....तक बढ़ाई गई है।
Validity of this passport is extended up to

.....
.....
.....

5

(पृष्ठ–6)
(Page No. Six)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विविध सेवा
Miscellaneous Service

.....
.....
.....
.....

टिप्पणी
/Observation

.....
.....
.....
.....

6

IndiaCode

(पृष्ठ–7 से 34)
(Pages Nos. Seven to Thirty Four)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वीजा
/VISAS
7—34

(पृष्ठ-35)

(Page No. Thirty Five)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

सफर खर्च के लिए विदेशी मुद्रा

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के प्राधिकार-प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे ।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख Date	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई Country of travel for which exchange has been sold	दी गई अथवा लौटाई गई रकम (निकटतम पौंड या रुपये बराबर पौंड या रुपये में) Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	मुद्रा के प्राधिकार-प्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर Stamp and Signature of Authorise Dealer selling exchange

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

(पृष्ठ–36)
(Page No. Thirty Six)

विनिधिम
सरकारी पासपोर्ट की वैधता

1. सरकारी पासपोर्ट की वैधता उस समय स्वतः समाप्त हो जाएगी, जब सम्बन्धित व्यक्ति, जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाए, जिसके कारण वह सरकारी पासपोर्ट पाने का अधिकारी हुआ था । ऐसी सूरत में, सरकारी पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में अथवा विदेश में भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा ।

2. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए दिया गया है जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर उनके अतिरिक्त और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है । इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट उपलब्ध होने से पासपोर्टधारी को उस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवासन कानूनों का पालन न करे, अथवा जहां वीजा हासिल करना आवश्यक हो, वहां उसे हासिल न करे ।

3. पासपोर्ट का वर्तमान वैधता समाप्त होने के बाद उसका पूरा मियाद में किसी भी समय उसका पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है लेकिन इसकी मियाद समाप्त होने के बाद नया पासपोर्ट लेना होगा ।

4. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह भारत सरकार की सम्पत्ति है। यह धारक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास ही सुरक्षित रहना चाहिए यदि यह खो जाये या नष्ट हो जाए तो इसके खोने या नष्ट होने की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के पासपोर्ट प्राधिकारी को या (यदि पासपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को भी जानी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार का फेर-बदल करना चाहिए, न इसे जब्त करना चाहिए और न यथोचित रूप से प्राधिकार-प्राप्त अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार अगर चाहे तो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अधीन इस पासपोर्ट को जब्त अथवा रद्द कर सकती है। ऐसी सूरत में पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह पासपोर्ट जारी करने वाले निकटतम प्राधिकारी को यह पासपोर्ट सौंप दे।

4. यह पासपोर्ट पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण-पत्र होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने ही पास रखे।

5. पासपोर्टधारी को पासपोर्ट के सम्बन्ध में पासपोर्ट प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी सूचना का तत्काल पालन करना चाहिए।

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)
(Inside back cover)

REGULATIONS

VALIDITY OF OFFICIAL PASSPORTS

1. An Official Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the function which rendered him eligible to receive an Official Passport. In such an event an Official Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indian abroad.

2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

3. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life after which a fresh passport must be obtained.

4. Passport should not be sent out of any country by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE IMPOUNDED OR REVOKED AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA UNDER THE PROVISIONS OF THE PASSPORTS ACT, 1967, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

5. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

India Law

फार्म-पी—2 (क)
FORM P—2(A)

सरकारी पासपोर्ट का प्रपत्र
Form of Official Passport

(मुख आवरण)
(Front Cover)

सरकारी पासपोर्ट
OFFICIAL PASSPORT



भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

(आंतरिक मुख आवरण)
(Inside Front Cover)



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना-रोक-टोक, आजादी से आने जाने दें और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो ।

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at.....में

the.....day

of.....19.....को

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA

.....

.....

.....

(पृष्ठ-1)
(Page No. One)

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं ।
This passport contains 32 pages.

सरकारी पासपोर्ट
OFFICIAL PASSPORT

भारत
INDIA

पासपोर्ट का नम्बर
No. of Passport

वाहक का नाम
Name of Bearer

साथ हैं उसकी पत्नी (जन्म नाम)
Accompanied by his wife
(Maiden Name)

और बच्चे
And Children

.....

राष्ट्रिकता
National Status

.....

.....

1

(पृष्ठ-2)
(Page No. Two)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विवरण
DESCRIPTION

		पत्नी Wife
व्यवसाय Profession		
जन्म-स्थान और जन्म की तारीख Place and date of birth		
अधिवास Domicile		
कद Height	मी० सें० मी० M. C.m.	मी० सें० मी० M. cm.
आंखों का रंग Colour of eyes		
बालों का रंग Colour of hair		
पहचान के प्रकट चिह्न Visible distinguishing marks		

बच्चे/CHILDREN

नाम Name	जन्म की तारीख Date of Birth	लड़का/लड़की Male/Female
.....		
.....		
.....		
.....		

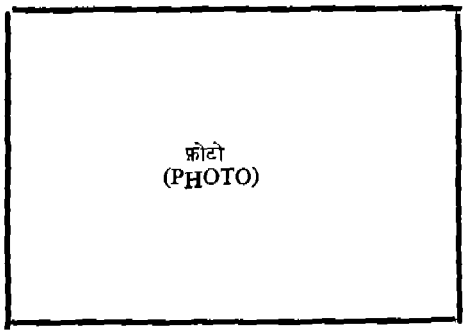
2

IndiaCode

(पृष्ठ -3)
(Page No. Three)

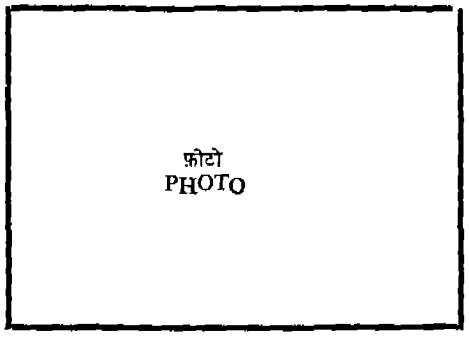
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वाहक का फ़ोटो
PHOTOGRAPH OF BEARER



वाहक के हस्ताक्षर
Signature of Bearer

पत्नी
Wife



पत्नी के हस्ताक्षर
Signature of wife

3

(पृष्ठ 4)
(Page No. Four)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

यह पासपोर्ट इन देशों के लिए वैध है
Countries for which this passport is valid

.....
.....
.....
.....
.....

अन्यथा बढ़ाई न जाये तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :

Unless renewed the validity of this passport expires on

.....

जारी करने का स्थान
Issued at

तारीख
date

4

(पृष्ठ-5)
(Page No. Five)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

घर का पता
Home Address

भारत में स्थायी पता (अर्थात—गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) :—

Permanent address in India:—
(Including Village or Town, District and State)

.....
.....
.....

पिता / पति का नाम और पता (अर्थात—गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य, :—

Name of Father/Husband and his full address
(Including Village or Town, District and State)

.....
.....
.....

टिप्पणी
Observations

.....
.....
.....
.....

5

(पृष्ठ-6)
(Page No. Six)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

नवीकरण
Renewals

6

(पृष्ठ 7 से 29)
(Page Nos. Seven to Twenty Nine)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वीजा
VISAS

7 to 29

IndiaCode

(पृष्ठ 30 और 31)
(Page Nos. Thirty and Thirty-one)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

सफर खर्च के लिए विदेशी मुद्रा
FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख Date	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई Country of travel for which exchange has been sold.	दी गई या लौटाई गई रक़म (निकटतम पौंड या रुपए के बराबर-पौंड या रुपयों में) Amount issued or refunded (Sterling orrupee equivalent to nearest £ or Re.)	मुद्रा के अधिकारप्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange

30—31

(पृष्ठ 32)
(Page No. Thirty Two)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विनियम

सरकारी पासपोर्ट की वैधता

1. सरकारी पासपोर्ट की वैधता उस समय स्वत: समाप्त हो जाएगी, जब कोई व्यक्ति, जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाए, जिसके कारण वह सरकार पासपोर्ट पाने का अधिकारी हुआ था। ऐसी सूरत में, सरकारी पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, में अथवा विदेश में भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा।

2. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए है, जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्ट धारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवास कानूनों का पालन न करे, अथवा जहां वीज़ा हासिल करना आवश्यक हो वहां उसे न ले।

3. (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी, वह उसके पासपोर्ट पर अकेली यात्रा नहीं कर सकेगी।

(ख) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।

4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।

5. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस बात को और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के 'पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी' को या (यदि पासपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल बदल करनी चाहिए न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह अपने साथ रखे।

32

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)
(Inside back cover)

REGULATIONS

VALIDITY OF OFFICIAL PASSPORTS

1. An Official Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive an Official Passport. In such an event, an Official Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indians abroad.

2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

IndiaCode

3. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;

(b) Childrens who are above fifteen years of age require separate Passports.

4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

5. Passport should not be sent out of any country by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

IndiaCode

सामान्य पासपोर्ट का प्ररूप
Form of Ordinary Passport

फार्म पी—3
FORM P—3

पासपोर्ट
PASSPORT



भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

(आंतरिक मुख आवरण)
(Inside Front Cover)



इसके द्वारा भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे इस्तेमाल को बिना रोक-टोक आजादी से आने जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or to her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given atमें

on.....19.....को दिया गया

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया।
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

.....

.....

.....

363 GI/82—3

(पृष्ठ-1)
(Page No. One)

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं।
This Passport contains 36 pages.

पासपोर्ट
PASSPORT

भारत
INDIA

पासपोर्ट संख्या
.....
Passport Number

नाम
.....
Name

.....बच्चे साथ है जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं।
ACCOMPANIED BY.....CHILDREN WHOSE PARTICULARS ARE MENTIONED BELOW.

नाम Name	जन्म की तारीख Date of Birth	लड़का/लड़की Male/Female

राष्ट्रिकता
.....
National Status

1

(पृष्ठ-2)
(Page No. Two)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विवरण/Description

लिंग Sex	व्यवसाय Profession	
अधिवास Domicile	कद Height	सें० मी० CMS.
रंग Colour	आंखों का of eyes	बालों का of hair

पिता/पति का नाम
.....
Name of father/husband

स्थायी पता
.....
Permanent Address
.....
.....

मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में जिस सम्बन्धी अथवा मित्र को सूचना देनी हो उसका विवरण।
Particulars of relative/friend to be intimated in event of death or accident.

नाम
.....
Name

पता
.....
Address

सम्बन्ध Relationship	टेलीफोन नम्बर Tele. No.

2

IndiaCode

(पृष्ठ-3)
(Page No. Three)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

जन्म स्थान Place of birth
जन्म की तारीख Date of birth
पहचान के प्रकट चिन्ह Visible distinguishing marks

धारक का फोटो
Photograph of the Bearer

धारक के हस्ताक्षर
Signature of Bearer

3

(पृष्ठ-4)
(Page No. Four)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

(1) यह पासपोर्ट दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य को छोड़कर अन्य सभी देशों की यात्रा के लिए वैध है।
This passport is valid for travel to :
ALL COUNTRIES EXECPT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA.

(2) यदि अवधि न बढ़ाई जाए तो
इस पासपोर्ट की वैधता
.....को समाप्त हो जाएगी।
Unless renewed validity
of this passport expires on

(3) संख्या तारीख
.....
No. Date
इस पासपोर्ट की वैधता
.....तक बढ़ाई गई है।
Validity of this passport is
extended up to
.....
.....
.....

(4) संख्या तारीख
.....
No. Date
इस पासपोर्ट की वैधता
..... तक बढ़ाई गई है।
Validity of this passport
is extended up to
.....
.....
.....

4

(पृष्ठ-5)
(Page No. Five)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विविध सेवा/Miscellaneous Service

.....
.....
.....
.....

टिप्पणी Observation

.....
.....
.....
.....

5

(पृष्ठ 6 से 34)
(Pages Nos. Six to Thirty Four)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वीज़ा
VISAS

6—34

(पृष्ठ-35)
(Page No. Thirty Five)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

सफर-खर्च के लिए विदेशी मुद्रा
FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के प्राधिकार-प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख Date	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई Country of travel for which exchange has been sold.	दी गई अथवा लौटाई गई रकम (निकटतम पौंड या रुपये के बराबर पौंड या रुपयों में) Amount issued or refunded Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	मुद्रा के प्राधिकार-प्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर Stamp and Signature of Authorised Dealer selling exchange.

35

IndiaCode

(पृष्ठ —36)
(Page 36)

(पुस्तिका संख्या)

विनियम

1. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए दिया गया है जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर उनके अतिरिक्त और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट उपलब्ध होने से पासपोर्ट धारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवासन कानूनों का पालन न करे अथवा जहां वीजा हासिल करना आवश्यक हो वहां उसे हासिल न करे।

2. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता समाप्त होने के बाद उसकी पूरी मियाद में किसी भी समय उसका पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है लेकिन इसकी मियाद समाप्त होने के बाद नया पासपोर्ट लेना होगा।

3. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यह परम आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र निकटतम भारतीय मिशन में अपने नाम और पते दर्ज करवायें। यदि मिशन में स्वयं न जा पायें तो पत्र लिख कर ऐसा किया जा सकता है। पते में परिवर्तन की या उस देश से रवानगी की सूचना भी मिशन को दे देनी चाहिए। यह सूचना डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह भारत सरकार की सम्पत्ति है। यह धारक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के पास ही सुरक्षित रहना चाहिए। इसे किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथों में नहीं पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाये या नष्ट हो जाये तो इसके खोने या नष्ट होने की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के पासपोर्ट प्राधिकारी को (यदि पासपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार का फेरबदल करना चाहिए न इसे विकृत करना चाहिए और न यथोचित रूप से प्राधिकार प्राप्त अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार अगर चाहे तो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अधीन इस पासपोर्ट को जब्त अथवा रद्द कर सकती है। ऐसी सूरत में पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह पासपोर्ट जारी करने वाले निकटतम प्राधिकारी को यह पासपोर्ट सौंप दें।

4. यह पास पोर्ट पासपोर्ट धारी की पहचान का पक्का प्रमाण-पत्र होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने ही साथ रखें।

5. पासपोर्टधारी को पासपोर्ट के सम्बन्ध में पासपोर्ट प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी सूचना का तत्काल पालन करना चाहिए।

पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग
(Inside back cover)

REGULATIONS

1. This passport is available for travel only to the countries specified on page 4 but may be endorsed for additional countries. The possession of a passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

2. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life after which a fresh passport must be obtained.

3. Passport should not be sent out of any country by post.

REGISTRATION

It is most important that Indian citizens resident abroad should at the earliest opportunity register their names and addresses at the nearest Indian Mission. This can be done by a letter if a personal visit to the Mission is not convenient. Changes of address or departure from that country should also be notified to the Mission. This can also be done by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOT ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE IMPOUNDED OR REVOKED AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA UNDER THE PROVISIONS OF THE PASSPORTS ACT, 1967, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

5. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

IndiaCode

फार्म पो—3(क)
FORM P-3(A)

साधारण पासपोर्ट का प्रारूप
Form of Ordinary Passport

पासपोर्ट
PASSPORT

सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

आंतरिक मुख आवरण
(Inside Front Cover)

सत्यमेव जयते

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बाब से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक टोक आजादी से आने जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at में
the.....day
of.....19.....को दिया गया

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया।
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

.....

.....

.....

(पृष्ठ – 1)
(Page No. One)

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं।
This Passport contains 32 pages.

पासपोर्ट
PASSPORT

भारत
INDIA

पासपोर्ट का नम्बर
No. of Passport

वाहक का नाम
Name of Bearer

साथ हैं उसकी पत्नी (जन्म नाम)
Accompanied by his Wife (Maiden Name)

और बच्चे।
And Children

राष्ट्रिकता
National Status

.....

.....

1

पृष्ठ–2
(Page No. Two)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विवरण
Description

	पत्नी/Wife
व्यवसाय / Profession	
जन्म-स्थान और जन्म की तारीख / Place and date of birth	
अधिवास / Domicile	
कद / Height	मी० M. सें०मी० C.m. — मी० M. सें०मी० C.m
आंखों का रंग / Colour of eyes	
बालों का रंग / Colour of hair	
पहचान के प्रकट चिन्ह / Visible distinguishing marks	

बच्चे/Children

नाम Name	जन्म की तारीख Date of Birth	लड़का/लड़की Male/Female

2

IndiaCode

(पृष्ठ–3)
(Page No. Three)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वाहक का फोटो
Photograph of Bearer

फोटो
PHOTO

वाहक के हस्ताक्षर
Signature of Bearer

पत्नी
Wife

फोटो
PHOTO

पत्नी के हस्ताक्षर
Signature of Wife

3

(पृष्ठ–4)
(Page No. Four)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

यह पासपोर्ट इन देशों के लिए वैध है
Countries for which this Passport is valid

.....
.....
.....
.....
.....

अवधि बढ़ाई न जाए तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :
Unless renewed the validity of this Passport expires on

.....

जारी करने का स्थान
Issued at

तारीख
date

4

(पृष्ठ–5)
(Page No. Five)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

घर का पता
Home Address

भारत में स्थायी पता (अर्थात्—गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) —
Permanent address in India :—
(Including Village or Town, District and State)

.....
.....
.....

पिता/पति का नाम और पता (अर्थात्—गांव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य) :—
Name of Father/Husband and his full address
(Including Village or Town, District and State)

.....
.....
.....

टिप्पणी
Observations

.....
.....
.....
.....

5

(पृष्ठ 6)
(Page No. Six)
(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

नवीकरण
Renewals

6

(पृष्ठ 7 से 29)
(Page No. Seven to Twenty Nine)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वीज़ा
VISAS

7 to 29

IndiaCode

(पृष्ठ 30 और 31)
(Page No. Thirty & Thirty one)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

सफ़र-खर्च के लिए विदेशी मुद्रा

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख Date	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा बेची गई Country of travel for which exchange has been sold.	दी गई या लौटाई गई रकम (निकटतम पौंड या रुपए के बराबर-पौंड या रुपयों में) Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £ or Re.)	मुद्रा के अधिकार-प्राप्त व्यवसायी की मुहर और उसके हस्ताक्षर Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange.

30 to 31

(पृष्ठ 32)
(Page No. Thirty Two)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विनियम

1. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए है, जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर है, लेकिन इस पर और देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्ट धारी को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू आप्रवास कानूनों का पालन न करे, अथवा जहां वीजा हासिल करना आवश्यक हो, वहां उसे न ले।

2. (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी, वह उसके पासपोर्ट पर अकेली यात्रा नहीं कर सकेगी।

(ख) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।

3. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।

4. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

रजिस्ट्री

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र निकटतम भारतीय मिशन में अपने नाम और पते रजिस्टर-बंद कराएं। पते में परिवर्तन की या उस देश से रवानगी की सूचना भी मिशन को दे देनी चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के 'पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी' को या (यदि पासपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल-बदल करनी चाहिए, न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकारप्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रक्खे।

32

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)
(Inside back cover)

REGULATIONS

1. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.

2. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;

(b) Children who are above fifteen years of age require separate Passports.

3. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

4. Passport should not be sent out of any country by post.

REGISTRATION

It is most important that Indian citizens resident abroad should at the earliest opportunity register their names and addresses at the nearest Indian Mission. Changes of address or departure from that country should also be notified to them.

CAUTION

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCERETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE BE CARRIED PERSONALLY.

India Code

फार्म पी—4
FORM P-4

आपाती प्रमाणपत्र का प्ररूप
Form of Emergency Certificate

(मुख आवरण)
(Front Cover)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



आपाती प्रमाण पत्र
EMERGENCY CERTIFICATE

(पृष्ठ–1)
(Page No. one)



आपाती प्रमाण-पत्र
EMERGENCY CERTIFICATE

नम्बर
No.

यह प्रमाणित किया जाता है
..... ने आपाती प्रमाणपत्र पाने के लिए मुझे आवेदन पत्र दिया है और मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं उनके बयान पर सन्देह करूं ।

This is to certify that.....
.....
has applied to me for the grant of an emergency Certificate and that I have no reason to doubt his/her statement.

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Issuing Authority

तारीख
Date

1

(पृष्ठ–2)
(Page No. Two)

नम्बर
No.

विवरण
Description

(क) व्यवसाय
(a) Profession

(ख) राष्ट्रिकता
(b) National Status

(ग) पिता/पति का नाम
(c) Fathers' /Husband's name

(घ) जन्म का स्थान और तारीख
(d) Place and date of birth

(ङ) भारत में पता
(e) Address in India

(च) प्रकट विशिष्ट चिन्ह, यदि कोई हों
(f) Visible distinguishing mark, if any

(छ) कद
(g) Height

(ज) बालों का रंग
(h) Colour of hair

(झ) आंखों का रंग
(i) Colour of eyes

2

(पृष्ठ–3)
(Page No. Three)

नम्बर
No.

प्रमाणपत्रधारी के साथ एक बच्चा है /..... बच्चे हैं, जिसका/जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :
The holder is accompanied by a child/.....children whose particulars are shown below:

बच्चों का ब्यौरा
Particulars of child/children

क्रमांक S. No.	नाम Name	जन्म की तारीख Date of birth	लड़का/लड़की Sex
1.			
2.			
3.			
4.			

प्रमाणपत्र धारी का फोटो
Photograph of Bearer

.....
प्रमाणपत्र धारी के हस्ताक्षर
Signature of Bearer.

3

IndiaCode

(पृष्ठ–4)
(Page No. Four)

नम्बर
No.

यह प्रमाणपत्र केवलसे होकरतक की यात्रा के लिए वैध है।

This certificate is only valid for journey to.....via

अवधि बढ़ाई न जाए तो इस प्रमाणपत्र की वैधता निम्नलिखित तारीख को समाप्त होती है :

Unless renewed the validity of this certificate expires on

तारीख जिस तक नवीकृत किया / Renewed up to }

नवीकृत करने का स्थान / Renewed at }

तारीख / Date }

4

(पृष्ठ–5)
(Page No. Five)

नम्बर
No.

वीजा
VISAS

5

(पृष्ठ–6)
नम्बर
(Page No. 6)
No.

वीजा
VISAS

टिप्पणी : इस आपाती प्रमाणपत्र को पास रखने से प्रमाणपत्रधारी को यह छूट नहीं मिल जाती कि वह गंतव्य देश में लागू आप्रवास विनियमों का पालन न करे अथवा जहां वीजा लेना आवश्यक हो, वहां उसे न ले।

N.B.—The possession of this Emergency Certificate does not exempt the holder from compliance with any immigration regulations in force in the country of destination or from the necessity of obtaining a visa where required.

6

IndiaCode

फार्म पी—5
FORM P-5

(मुख आवरण)
(Front Cover)

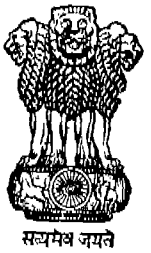
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



सत्यमेव जयते

पहचान प्रमाण-पत्र
IDENTITY CERTIFICATE

आंतरिक मुख आवरण
(Inside Front cover)



सत्यमेव जयते

पहचान प्रमाण-पत्र
IDENTITY CERTIFICATE

प्रमाणपत्रधारी को राष्ट्रीय पासपोर्ट के स्थान पर पहचान पत्र देना ही इस प्रमाणपत्र को जारी करने का एकमात्र उद्देश्य है। यह न तो प्रमाणपत्रधारी की राष्ट्रिकता से प्रभावित है और न उसकी राष्ट्रिकता को प्रभावित करता है। यदि प्रमाणपत्रधारी राष्ट्रीय पासपोर्ट प्राप्त कर लेगा तो यह प्रमाणपत्र वैध न रह जाएगा और उसे इस प्रमाणपत्र को पासपोर्ट जारी करने वाले निकटतम भारतीय अधिकारी के पास जमा कर देना होगा।

This certificate is issued for the sole purpose of providing the holder with identity papers in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the national states of the holder. If the holder obtains a national passport, this certificate ceases to be valid and must be surrendered to the nearest Indian Passport Issuing Authority.

यह प्रमाणपत्र पृष्ठ 5 पर लिखित देशों की यात्रा के लिए वैध है और इसकी वैधता निम्नलिखित तिथि को समाप्त होती है:

This certificate is valid for travel to Countries mentioned at page 5 and its validity expires on

.....

(जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और उसकी मुहर)
(Signature and seal of Issuing Authority)

स्थान / Place तिथि / Date

363 GI/82—4

(पृष्ठ—1)
(Page No. one)

इस पहचान प्रमाणपत्र में 13 पृष्ठ हैं।
This Identity Certificate contains 13 pages

पहचान प्रमाण-पत्र
IDENTITY CERTIFICATE

भारत
INDIA

पहचान प्रमाणपत्र का नम्बर
No. of Identity Certificate

प्रमाणपत्रधारी का नाम
Name of holder

मूल राष्ट्रिकता
Nationality of origin

1

(पृष्ठ—2)
(Page No. Two)

नम्बर
No.

व्यक्ति का विवरण
Personal Description

व्यवसाय
Profession

जन्म की तारीख
Date of birth

जन्म-स्थान
Place of birth

पिता/पति का नाम
Name of father/husband

माँ का नाम
Name of mother

कद
Height

बालों का रंग
Colour of hair

आँखों का रंग
Colour of eyes

2

India Code

(पृष्ठ–3)
(Page No. Three)

नम्बर
No.

विशिष्ट चिन्ह
Distinguishing marks.....

वर्तमान कार्य
Present occupation

विदेश में पिछला
स्थायी पता
Last permanent address abroad

.....

वर्तमान पता
Present address

3

प्रमाणपत्रधारी का फोटो

PHOTOGRAPH
OF HOLDER

.....

(प्रमाणपत्रधारी के हस्ताक्षर)
(Signature of holder)

4

(पृष्ठ–4)
(Page No. Four)

नम्बर
No.

प्रमाणपत्रधारी के साथ एक बच्चा है/.....बच्चे है; ब्यौरा नीचे दिया गया है :

The holder is accompanied by a child/.....children whose particulars are given below:

बच्चों का ब्यौरा

Particulars of Children

क्रमांक S No.	नाम Name	जन्म की तारीख Date of birth	लड़का/लड़की Sex
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(पृष्ठ–5)
(Page No. Five)

नम्बर No.

पृष्ठांकन
Endorsements

5

(पृष्ठ 6 और 7)
(Page Nos. Six & Seven)

नम्बर No.

नवीकरण
Renewals

6 & 7

(पृष्ठ 8 से 13)
(Page Nos. 8 to 13)

वीजा
VISAS

8 to 13

IndiaCode

फार्म पी–6
FORM P-6

भारत एवं बंगलादेश के बीच यात्रा के लिए भारत-बंगला देश पासपोर्ट का प्रकप

Form of India-Bangladesh Passport for Travel between India and Bangladesh

मुख आवरण
(Front Cover)

भारत-बंगलादेश पासपोर्ट
INDIA-BANGLADESH PASSPORT

सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

(आंतरिक मुख आवरण)
(Inside front cover)

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at..... में
theday
of.....19.को

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया।
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

.....
.....
.....

(पृष्ठ–1)
(Page No. One)

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं।
This Passport contains 32 pages.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पासपोर्ट
PASSPORT

यह पासपोर्ट केवल भारत और बंगला देश के बीच सीधे यात्रा के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी अन्य देश की यात्रा करने के लिए न किया जाए।

This Passport is valid only for direct travel between India and Bangladesh and may not be used for travel to any other country.

पासपोर्ट का नम्बर / No. of Passport
वाहक का नाम / Name of Bearer
.....

भारत में स्थायी पता
Permanent address in India

गांव या कस्बा / Village or Town
थाना / Police Station
जिला / District राज्य / State
साथ हैं बच्चे
Accompanied by Children.

राष्ट्रिकता
National Status

.....
.....

1

(पृष्ठ–2)
(Page No. Two)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विवरण
Description

व्यवसाय / Profession
जन्म का स्थान जिला और राज्य / Place, district and State of birth
जन्म की तारीख / Date of birth
अधिवास / Domicile
कद / Height मी० M. सं०मी० C.m.
आंखों का रंग / Colour of eyes
बालों का रंग / Colour of hair
पहचान के प्रकट चिन्ह / Visible Distinguishing Marks

IndiaCode

बच्चे
Children

नाम Name	जन्म की तारीख Date of Birth	लड़का/लड़की Male/Female
1.		
2.		
3.		
4.		

2

(पृष्ठ- 3)
(Page No. Three)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वाहक का फोटो
Photograph of Bearer

फोटो
PHOTO

वाहक के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF BEARER

टिप्पणी
Observations

.....

.....

3

(पृष्ठ- 4)
(Page No. Four)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

अवधि बढ़ाई न जाय तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :

Unless renewed the validity of this Passport expires on

.....

नवीकरण
Renewals

(पृष्ठ- 5)
(Page No. Five)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

पिता का नाम और उसका पूरा पता
(अर्थात् गाव या कस्बे का नाम, जिला और राज्य)
Name of Father and his full address
(including village or town, district and state)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

यदि पासपोर्टधारी कोई विवाहिता स्त्री या विधवा हो तो उसके पति का नाम, व्यवसाय और पता, या अंतिम पता
If holder is a married lady or a widow, name, occupation and address or last address of husband

.....

.....

.....

.....

5

(पृष्ठ 6 से 16)
(Page Nos. Six to Sixteen)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वीजा
VISAS

6 to 16

(पृष्ठ 17 से 30)
(Page Nos. Seventeen to Thirty)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

पृष्ठांकन
ENDORSEMENTS

17 to 30

IndiaCode

(पृष्ठ 31 और 32)
(Pages Nos. Thirty one and Thirty two)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

सफ़र-खर्च के लिए विदेशी मुद्रा
FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावा और कोई न भरे।

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange

तारीख Date	दी गई या लौटाई गई रकम (निकटतम पौंड या रुपये के बराबर पौंड या रुपयों में) Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent nearest £ or Re.)	मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी की मुहर और हस्ताक्षर Stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange.

31 & 32

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)
(Inside back cover)

आवश्यक

1. यह पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है और यह सरकार स्वेच्छानुसार किसी भी समय, यदि चाहे तो इस पासपोर्ट को रद्द कर सकती है। जहां पासपोर्ट इस तरह रद्द किया गया हो, सरकार के लिए वैध होगा कि पासपोर्ट को अपने पास रख ले, यदि यह उसके कब्जे में है और यदि उसके पास न हो तो उस पर अपना कब्जा कर ले।

2. यदि यह पासपोर्ट खो जाय, तो इसकी सूचना और जिन हालत में यह खो गया हो उसकी रिपोर्ट तुरन्त जारी करने वाले अधिकारी को और निकटतम थाने में करनी चाहिए या अगर बंगलादेश में खो जाय तो निकटतम राजनयिक मिशन व स्थानीय पुलिस में इसकी सूचना देनी चाहिए।

3. इस पासपोर्ट में किसी प्रकार की फेरबदल या काटपीट नहीं करनी चाहिए और न इस पर समुचित रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी दूसरे से पृष्ठांकन करवाया जाना चाहिए।

विनियम

1. अवधि बढ़ाने के निवेदन-पत्र पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के पहले ही देनी चाहिए और साधारण रूप से अवधि समाप्त होने के तीन महीने से अधिक पहले नहीं देने चाहिए।

2. यह पासपोर्ट होने से धारक को बंगलादेश के वीज़ा और आप्रवास विनियमों तथा भारत के उत्प्रवास नियमों के पालन में छूट नहीं होगी।

3. (i) पन्द्रह से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग पासपोर्ट अवश्य लिया जाना चाहिए।

(ii) पन्द्रह वर्ष से कम आयु के बच्चे माता या पिता के किसी पासपोर्ट में, जिसके साथ यात्रा करते हों, शामिल किए जा सकते हैं।

4. इस पासपोर्ट को आवास वाले देश से बाहर डाक से नहीं भेजना चाहिए।

IMPORTANT

1. This passport is the property of the Government of India, and may, at the discretion of that Government, at any time, be revoked, and where the passport is so revoked, it shall be lawful for that Government to retain its possession if it is in its possession and to recover its possession if it is not in its possession.

2. In case of loss of this passport, that fact and the circumstances leading to the loss must be reported immediately to the issuing authority and the nearest police station or, if loss occurs while in Bangladesh, to the nearest Indian Diplomatic Mission and the local police.

3. This passport must not be altered or mutilated in any way nor any endorsement made on it by any person other than a duly authorised official.

REGULATIONS

1. Application for renewal must be made before the date of expiry of the passport and normally not more than three months before such expiry.

2. The possession of this passport does not exempt the bearer from compliance with Visa and Immigration regulations of Bangladesh and emigration rules of India.

3. (i) A separate passport must be taken out for each person above fifteen years of age.

(ii) Children under fifteen years of age may be included in the passport of either parent whom they accompany.

4. This passport should not be sent out of the country of residence by post.

Indiacode

फार्म पी-7
FORM P-7

भारत–श्री लंका पासपोर्ट का प्रारूप
Form of India-Sri Lanka Passport

(मुख आवरण)
(Front Cover)

भारत-श्री लंका पासपोर्ट
India-Sri Lanka Passport



भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

(आंतरिक मुख आवरण)
(Inside front cover)



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at..... में

the.....day

of.....19.....को

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया।
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

.....

.....

.....

पृष्ठ—1
(Page No. One)

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं।
This Passport contains 32 pages.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पासपोर्ट
PASSPORT

यह पासपोर्ट केवल भारत और श्री लंका के बीच सीधे यात्रा के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी अन्य देश की यात्रा करने के लिए न किया जाए।

This Passport is valid only for direct travel between India and Sri Lanka and may not be used for travel to any other country

पासपोर्ट का नम्बर
No. of Passport

वाहक का नाम
Name of Bearer

भारत/श्री लंका में स्थायी पता :—
Permanent Address in India/Sri Lanka

गांव या कस्बा
Village or Town

थाना
Police Station

जिला राज्य प्रांत
District State. Province.

साथ है बच्चे/
Accompanied by Children.

राष्ट्रिकता
National Status

.....

.....

I

पृष्ठ-2
(Page No. Two)

पुस्तिका संख्या
(Booklet Number)

विवरण
Description

व्यवसाय
Profession.

जन्म का स्थान और जन्म की तारीख
Place and Date of birth

अधिवास
Domicile

कद मी० सें० मी०
Height M. C.m.

आंखों का रंग
Colour of eyes

बालों का रंग
Colour of hair

पहचान के प्रकट चिन्ह
Visible distinguishing marks

पिता का नाम और उसका पता / Name of father and his addres

.....

.....

Indi Code

यदि महिला विवाहित अथवा विधवा है तो उसके पति का नाम और पता
If married lady or a widow, name and address of husband

.....

.....

बच्चे

Children

नाम Name	जन्म की तारीख Date of birth	लड़का/लड़की Male/Female
1.....		
2.....		
3.....		
4.....		

2

पृष्ठ-3
(Page No. Three)

पुस्तिका संख्या
(Booklet Number)

वाहक का फोटो
PHOTOGRAPH OF BEARER

फोटो
(PHOTO)

वाहक के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF BEARER

टिप्पणी

Observations

.....

.....

3

पृष्ठ-4
(Page No. Four)

पुस्तिका संख्या
(Booklet Number)

अवधि बढ़ाई न जाय तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है :

Unless renewed the validity of this Passport expires on

.....

नवनीकरण

Renewals

4

पृष्ठ-5
(Page No. Five)

पुस्तिका संख्या
(Booklet Number)

नवीकरण

Renewals

5

पृष्ठ 6 से 16
(Page Nos. Six to Sixteen)

पुस्तिका संख्या
(Booklet Number)

बीजा

VISAS

6 to 16

पृष्ठ 17 से 31
(Page Nos. Seventeen to Thirty one)

पुस्तिका संख्या
(Booklet Number)

पृष्ठांकन

Endorsements

17 to 31

IndiaCode

(पृष्ठ-32)
(Page No. Thirty Two)

पुस्तिका संख्या

(Inside back cover)

विनियम

1. यह पासपोर्ट केवल श्री लंका की यात्रा के लिए है।

2. इस पासपोट के अपने पास होने से वाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह श्री लंका के वीजा तथा आप्रवास विनियमों और भारत के परावास विनियमों का पालन न करे।

3. (i) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट जरुरी होगा।

(ii) पन्द्रह साल से कम उम्र के बच्चे, माता पिता के पासपोर्ट में, जिसके भी साथ वे जा रहे हों, शामिल किए जा सकेंगे।

4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।

5. जिस देश में निवास हो, उससे दूसरे देश को पासपोर्ट डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के 'पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी' को या यदि पासपोर्टधारी श्री लंका में हो तो) भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल-बदल करनी चाहिए न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पास पोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखें।

32

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)
(Inside Back Cover)

Regulations

1. This Passport is only available for travel to Sri Lanka.

2. The possession of this Passport does not exempt the bearer from compliance with Visa & Immigration regulations of Sri Lanka and the emigration regulations of India.

3. (i) A separate Passport must be taken out for each person above fifteen years of age;

(ii) Children under fifteen years of age may be included in the Passport of either parent whom they accompany.

4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

5. This Passport should not be sent out of the country of residence by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A-VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNATHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS IN SRI LANKA) TO THE INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MULTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT, THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE BE CARRIED PERSONALLY.

फार्म पी- 8
FORM P-8

भारत-श्री लंका पासपोर्ट की प्रकृप--देश प्रत्यावर्तियों के लिए
Form of India-Sri Lanka Passport for Repatriates

(मुख आवरण)
(Front Cover)

भारत श्री लंका पासपोर्ट
INDIA-SRI LANKA PASSPORT

(1964 और 1974 के करारों के अधीन देश प्रत्यावर्तियों के लिए)
(For Repatriates—1964 and 1974 Agreements)



भारत-गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

(आंतरिक मुख आवरण)
(Inside front Cover)



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है वे कि वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at..... में
the.....day
of.....19.....को
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया।
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA

.....

.....

.....

(पृष्ठ-1)
(Page No. one)

इस पासपोर्ट में 16 पृष्ठ हैं।
This Passport contains
16 pages

भारत सरकार
पासपोर्ट

GOVERNMENT OF INDIA
PASSPORT

यह पासपोर्ट केवल भारत और श्री लंका के बीच सीधी यात्रा के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी अन्य देश की यात्रा करने के लिए न किया जाए।

This Passport is valid only for direct travel between India and Sri Lanka and may not be used for travel to any other country.

पासपोर्ट का नम्बर
No. of Passport

वाहक का नाम
Name of Bearer

.....

पता
Address

भारत में In India	श्री लंका में In Sri Lanka
.....	
.....	
.....	

साथ हैं बच्चे
Accompanied byChildren

राष्ट्रिकता
National Status
भारत के नागरिक
Citizen of India

1

(पृष्ठ-2)
(Page No. Two)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विवरण
DESCRIPTION

व्यवसाय
Profession

जन्म स्थान और जन्म की तारीख
Place and Date of birth

IndiaCode

अधिवास
Domicile

कद
Height मी० M सें०मी० C.m

आखों का रंग
Colour of eyes

बालों का रंग
Colour of hair

पहचान के प्रकट चिन्ह
Visible distinguishing marks

पिता का नाम
Name of father

यदि महिला विवाहित अथवा विधवा है, तो उसके पति का नाम
If married lady or a widow name of husband

.....

बच्चे
Children

नाम Name	जन्म की तारीख Date of birth	लड़का/लड़की Male/Female
1.....		
2.....		
3.....		
4.....		
5.....		
6.....		

2

(पृष्ठ-3)
(Page No. Three)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वाहक का फोटो
Photograph of Bearer

फोटो
(PHOTO)

वाहक के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF BEARER

टिप्पणी
Observations

.....

.....

3

(पृष्ठ-4)
(Page No. Four)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

अवधि बढ़ाई न जाय तो इस पासपोर्ट की वैधता निम्न तिथि को समाप्त होती है ;
Unless renewed the validity of this Passport expires on;

.....

नवीकरण
Renewals

4

(पृष्ठ-5)
(Page No. Five)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

टिप्पणी
OBSERVATION

भारत का हाई कमीशन कोलंबो (श्रीलंका)
HIGH COMMISSION OF INDIA IN SRI LANKA, COLOMBO

भारत का सहायक हाई कमीशन, कैंडी (श्रीलंका)
ASSISTANT HIGH COMMISSION OF INDIA KANDY (SRI LANKA)

पंजीकरण का प्रमाण पत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

(1964 और 1974 के भारत-श्री लंका करार)
(India-Sri Lanka Agreements, 1964 and 1974)

प्रमाणित किया जाता है कि पासपोर्ट में जिस व्यक्ति के विवरण दिये गये हैं उसे मैंने भारत के नागरिक के रूप में सं० दिनांक द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत किया है।

It is certified that the person whose particulars are given in this passport has been registered by me as a citizen of India under the provisions of Section 5(1) (b) of the Citizenship Act, 1955 vide Number.....dated.....

तृतीय सचिव/अताशे/सक्षम प्राधिकारी
Third Secretary/Attache/
Competent Authority.

5

(पृष्ठ 6 से 11)
(Pages Nos. Six to Eleven)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

पृष्ठांकन
Endorsements

6 to 11

IndiaCode

(पृष्ठ 12 से 15)
(Page Nos. Twelve to Fifteen)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

वीज़ा
VISAS

12 to 15

(पृष्ठ-16)
(Page No. Sixteen)

(पुस्तिका संख्या)
(Booklet Number)

विनियम

1. यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की यात्रा के लिए है।

2. यह पासपोर्ट वाहक के पास होने से वाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह श्री लंका के वीजा तथा आप्रवास विनियमों और भारत के उत्प्रवास विनियमों का पालन न करे।

3. (i) पन्द्रह साल से ऊपर की कम उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।

(ii) पन्द्रह साल से कम उम्र के बच्चे, माता या पिता के पासपोर्ट में, जिसके भी साथ वे जा रहे हों, शामिल किए जा सकेंगे।

4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे उसकी पूरी अवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।

5. जिस देश में निवास हो, उससे दूसरे देश को पासपोर्ट डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चेतावनी

1. यह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपत्र है। इसे किसी अनधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिए। यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के 'पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी' को या (यदि पासपोर्टधारी श्री लंका में हो तो) भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।

2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की अदल बदल करनी चाहिए न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया अथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखे।

[संख्या वी० 1/401/17/82]
पी० एस० सहाय,
संयुक्त सचिव (सी वी पी)

(पृष्ठ आवरण का आंतरिक भाग)
(Inside Back Cover)

REGULATIONS

1. This Passport is only available for Travel to Sri Lanka.

2. The possession of this Passport does not exempt the bearer from compliance with Visa & Immigration regulations of Sri Lanka and the emigration regulations of India.

3. (i) A separate Passport must be taken out for each person above fifteen years of age;

(ii) Children under fifteen years of age may be included in the Passport of either parent whom they accompany.

4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.

5. This passport should not be sent out of the country of residence by post.

Caution

1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS IN SRI LANKA) TO THE INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.

2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MULTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.

3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITHDRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT, THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

[No. V.1/401/17/82]
P.S. Sahai,
Joint Secretary (CVP)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982

IndiaCode